राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 295/2011/बांसवाडा
मैसर्स शर्मा कन्ट्रक्शन कम्पनी
बांसवाडा — अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,उदयपुर — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 296/2011/बांसवाडा
मैसर्स प्रदीप कुमार कान्ट्रेक्टर
उदयपुर — अपीलीर्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,उदयपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री रतन लाल जैन
सी.ए. — प्रार्थी की ओर से
श्री एस.के. उपाध्याय
सहायक आयुक्त — अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांकः 1.12.2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलीर्थी व्यवहारियों की ओर से उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 54/आरवैट/09–10 एवं 53/आरवैट/09–10 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 8.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स,उदयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 24,55 एवं 58 के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश आदेश दिनांक 23.03.2009 को पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्तिया आरोपित की है, जिसे यथावत रखकर अपीलें अस्वीकार की हैं।

प्रकरणों के संक्षप्ति तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा दिनांक 01.04.2006 से पूर्व की कार्य संविदा पर लिये गये कार्यो को अण्डरटेकिंग के आधार ई. सी. के अन्तर्गत चल रहे कार्यो को दिनांक 11.08.2006 के पूर्व पूर्ण कर लिया गया था। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.08.2006 को अधिसूचना जारी की गई,जिसके अनुसार अपीलार्थियों को WT-2 में ई.सी. हेतु आवेदन करना था। परन्तु जानकारी के अभाव में अपीलार्थियों द्वारा यह माना गया कि उसके द्वारा लिये गये संविदा कार्यो ई.सी. के तहत ही चल रहे। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आधार पर अपीलार्थियों द्वारा ई.सी.लेने हेतु WT-2 में आवेदन नही

करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई.सी.को अस्वीकार कर निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया है :–

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
295/2011	2006–07	35,390/–	9841/–	500/–
296/2011	2006–07	10,568/–	6378/–	500/–

उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवसाईयों द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए अपीलें अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2010 पारित किया है,जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवसायियों की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ठेकेदारों द्वारा पूर्व अण्डरटेकिंग के आधार पर ई सी के अन्तर्गत चल रहे कार्यो को दिनांक 11.08.2006 के पूर्व पूरे के लिये गये थे,इसके पश्चात दिनांक 11.08.2006 को अधिसूचना आई जिसके अनुसार उन्हें WT-2 में ई सी हेतु निवेदन करना था, सदभाविक विश्वास से ऐसा नहीं किया गया है और जानबूझकर नहीं किया गया है। उनका कथन है कि WT-2 में ई सी हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से राज्य सरकार को काई राजस्व हानि नहीं हुई है। उनका कथन है कि कार्य पूर्ण हो गया है और उनको ऐसा सद्भाविक विश्वास था कि ई.सी. स्वतःजारी हो जायेगा क्योंकि पूर्व अण्डरटेकिंग दी हुई है। उनका कथन है कि तथ्यों के होने के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा पूर्व अण्डरटेकिंग के आधार पर ई सी के अन्तर्गत चल रहे कार्यो को दिनांक 11.08.2006 के पूर्व पूरे के लिये गये थे,इसके पश्चात दिनांक 11.08.2006 को अधिसूचना आई जिसके अनुसार उन्हें WT-2 में ई सी हेतु आवेदन करना था, जो नहीं किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार कर,ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया है।

प्रकरण के तथ्यों के विचार करने पश्चात स्पष्ट होता है कि अपीलार्थियों को दिनांक 11.08.2006 की अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2006 के बाद सम्पूर्ण हुए कार्य पर WT-2 में ई सी हेतु आवेदन कर ई.सी. लेना जरूरी था, जो व्यवहारियों द्वारा नही किया गया है। इन्हीं तथ्यों का समावेश करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलाधीन ओदश दिनांक 08.11.2010 पारित किया है,जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता यह पीठ नहीं समझती है। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के आधार अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य